

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 10

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)													
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	128.35	771.61	899.96	179.90	657.98	837.88	176.90	711.74	888.64	191.80	621.50	813.30	
पूँजी	6054.63	...	6054.63	6540.10	...	6540.10	5823.10	...	5823.10	2528.20	...	2528.20	
जोड़	6182.98	771.61	6954.59	6720.00	657.98	7377.98	6000.00	711.74	6711.74	2720.00	621.50	3341.50	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	36.12	18.36	54.48	50.00	20.00	70.00	45.00	20.80	65.80	50.00	22.06	72.06
नागर विमानन													
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	3.25	51.94	55.19	25.00	63.13	88.13	21.00	67.67	88.67	24.00	70.64	94.64
	5053	11.76	...	11.76	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	26.00	...	26.00
जोड़		15.01	51.94	66.95	50.00	63.13	113.13	44.00	67.67	111.67	50.00	70.64	120.64
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	1.88	8.24	10.12	25.00	10.43	35.43	17.00	9.10	26.10	37.80	10.08	47.88
	5053	30.87	...	30.87	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	2.20	...	2.20
जोड़		32.75	8.24	40.99	40.00	10.43	50.43	32.00	9.10	41.10	40.00	10.08	50.08
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	680.03	680.03	...	550.00	550.00	...	583.84	583.84	...	500.00	500.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	6012.00	...	6012.00	6500.10	...	6500.10	5785.10	...	5785.10	2500.00	...	2500.00
	7053	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		6012.00	...	6012.00	6500.10	...	6500.10	5785.10	...	5785.10	2500.00	...	2500.00
7. अन्य व्यय	3053	87.10	5.70	92.80	79.90	6.45	86.35	93.90	22.05	115.95	80.00	9.60	89.60
	3601	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़		87.10	5.70	92.80	79.90	6.46	86.36	93.90	22.05	115.95	80.00	9.61	89.61
जोड़-नागर विमानन		6146.86	745.91	6892.77	6670.00	630.03	7300.03	5955.00	682.66	6637.66	2670.00	590.34	3260.34
अन्य परिवहन सेवाएं													
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	7.38	7.38	...	7.99	7.99	...	8.32	8.32	...	9.14	9.14
	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
कुल		...	7.34	7.34	...	7.95	7.95	...	8.28	8.28	...	9.10	9.10
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
9.01	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9.02	एएआई को अनुदान	3053	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए														
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
कुल जोड़		6182.98	771.61	6954.59	6720.00	657.98	7377.98	6000.00	711.74	6711.74	2720.00	621.50	3341.50	
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
6.01	एयर इंडिया लि.	13053	6000.00	857.06	6857.06	6500.00	569.00	7069.00	5780.00	600.00	6380.00	2500.00	705.00	3205.00
6.02	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	...	1076.00	1076.00	...	2134.00	2134.00	...	1642.00	1642.00	...	1820.00	1820.00
6.03	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	0.78	0.78	...	46.00	46.00	...	25.51	25.51	...	110.95	110.95
6.04	भारतीय होटल निगम लि.	13053	12.00	-0.73	11.27	0.10	...	0.10	5.10	29.70	34.80	...	...	...
6.05	एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	0.43	0.43	...	5.00	5.00	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
जोड़		6012.00	1933.54	7945.54	6500.10	2754.00	9254.10	5785.10	2300.21	8085.31	2500.00	2640.95	5140.95	
ग. योजना परिव्यय														
1.	नागर विमानन	13053	6182.98	1933.54	8116.52	6720.00	2754.00	9474.00	6000.00	2300.21	8300.21	2720.00	2640.95	5360.95
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		6182.98	1933.54	8116.52	6720.00	2754.00	9474.00	6000.00	2300.21	8300.21	2720.00	2640.95	5360.95	

1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं – नागर विमानन: सचिवालय आर्थिक सेवाएं – नागर विमानन

यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। सचिवालय व्यय में विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी)के लिए प्रावधान भी शामिल है। आयोजना आबंटन निम्न के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है (i)अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों और विमानन अध्ययनों के लिए भारतीय वाहकों की प्रतिपर्धात्मकता में संवर्धन (ii) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय(iii) नागर विमानन के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन एवं नियंत्रण के संवर्धन के लिए आईटी टूलों का अनुप्रयोग और क्षमता निर्माण उपाय(iv) दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए अनिवार्य विमान सेवाएं।

2. महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय: इस शीर्ष के अंतर्गत गैर-योजनागत प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजना प्रावधान में

प्रशिक्षण परियोजनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं, ई-जीसीए परियोजनाएं, नागर विमानन महानिदेशालय भवन का निर्माण तथा संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना शामिल है। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रति भारत के अंशदान का प्रावधान भी शामिल है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** गैर-योजनागत प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजना प्रावधान सुरक्षा उपकरणों, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा उसके सहायक सामान और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण के प्रापण के लिए निर्धारित किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्संरचना, मुख्यालय भवन के निर्माण और संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित सम्मेलनों और अधिवेशनों में भारत के अंशदान के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

4. **यात्री सेवा शुल्क के स्थान पर एफटीटी के भाग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को**

भुगतान: सरकार द्वारा एकत्र विदेश यात्रा कर के भा.वि.प्रा के भाग के प्रति भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भुगतान के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है। इस योजना को 1.4.2001 से बंद कर दिया गया है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन ने 1.4.2001 से अंतरराष्ट्रीय यात्री पर पीएसएफ लगाने को अनुपति प्रदान कर दी है।

5. **हज चार्टरों के प्रचालनों के लिए राज सहायता:** हज चार्टरों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों को राज

सहायता के भुगतान के लिए गैर-योजनागत बजट प्रावधान किया गया है।

6. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश:** इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नागर विमानन मंत्रालय के अधीन

आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सरकारी निवेश के लिए किया गया है। तात्कालिक प्रावधान एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी सहायता के लिए किया गया है।

7. **अन्य व्यय:** योजना के अंतर्गत का प्रावधान भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए किया गया है। गैर-

योजनागत भाग में बजट भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ए.ई.आर.ए)के लिए है।

8. **रेल संरक्षा आयोग:** इस शीर्ष के अंतर्गत गैर-योजनागत प्रावधान रेल संरक्षा आयोग की स्थापना संबंधी

व्यय को पूरा करने के लिए है, जो रेल यात्रा और प्रचालन में सुरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए है।